संख्या-63/2016-1024/नौ-5-2016-228बजट/2011

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2016

विषय:- मथुरा स्थित गोकुल बैराज के वार्षिक रखरखाव/अनुरक्षण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा के पत्र संख्या-2381/3/गोकुल बैराज/2015-16 दिनांक 17.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा स्थित गोकुल बैराज के वार्षिक रखरखाव/अनुरक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू. 100.00 लाख के सापेक्ष **द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में रू. 50.00 लाख (रू. पचास लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित कार्यो एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक, नगरीय निकाय के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं -:

क्र0	मद
1	गाइड बंधों/एफलक्स/मार्जिग्नल बंधों के अनुरक्षण हेतु मिटटी, पिचिंग, इंटरलाकिंग, लान्चिंग एप्रेन एवं अन्य कार्य
2	गोकुल बैराज के कन्ट्रोल रूम, पुल का रखरखाव, बैराज रेगुलेशन स्टाफ, सेन्ट्रल स्टोर हेतु गार्ड, विद्युत व्यवस्था एवं अन्य कार्य
3	गोकुल बैराज के विविध कार्य (जनरेटर सर्विस, वाहन, तेल, टी. एण्ड पी. एवं कार्यालय की मरम्मत सीमेंट कंक्रीट एप्रोच रोड एवं अन्य आपातकालीन कार्य)
4	गोकुल बैराज के यांत्रिक अनुरक्षण कार्य
5	गौकुल बैराज के स्ट्रक्चर की पेन्टिंग आदि कार्य
6	गोकुल बैराज पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट लगाने एवं मरम्मत व अन्य कार्य
7	अधिष्ठान व्यय

1. उक्त धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेर्ट बैंक से करते हुए जिलाधिकारी, मथुरा को उपलब्ध करायी जायेगी तथा जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा अपने स्तर से उक्त धनराशि सिंचाई विभाग, निर्माण खण्ड, मथुरा को अवमुक्त की जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि उपर्युक्त कार्यो पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में स्वीकृत की जा रही धनराशि अन्य कार्यो पर व्यय नहीं की जायेगी।
4. व्यय किये गये मदों का विस्तृत विवरण तथा कराये गये कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक त्रैमास के अन्त तक निदेशक, नगरीय निकाय/नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(17)

5. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को दिनांक 31.03.2016 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।

2. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में लेखाशीर्षक-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-03-गोकुल बैराज, मथुरा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-745/दस-2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमित से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-63/2016/1024/नौ-5-2016-228बजट/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, आगरा।
4. जिलाधिकारी, मथुरा।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, मथुरा।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. मुख्य अभियंता(गंगा), सिंचाई विभाग, उ.प्र.मेरठ/अधीक्षण अभियंता, तृतीय मण्डल, सिंचाई कार्य, आगरा/अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मथुरा।
9. वित्त (ई-8) अनुभाग/वितत(आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. सुपर यूजर नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

shasanadesh.up.nic.in